रजि. न. MPHIN / 2007 / 22179

बरली की दुनिया

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान इन्दौर की मासिक समाचार पत्रिका

"मानव जाति एक पक्षी के समान है, जिसके दो पंख हैं, एक पुरुष दूसरा स्त्री। जब तक दोनों पंख मजबूत न होंगे, एक सांझी शक्ति के द्वारा हिलाए न जाएंगे, तब तक पक्षी की आकाश में उड़ान असम्भव है।"

वर्ष—4 अंक 47 जनवरी 2011 मूल्य: 5रू.

झंडा ऊँचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा

झंडा ऊँचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा

यह गीत भारत का हर बच्चा बहुत खुशी से गुनगुनाता है.. बड़े ही शान से। आखिर क्या बात है इस झंडे में जिसने आज़ादी के परवानों में एक नया जोश भर दिया था और जो आज भी हर भारतीय को अपने गरिमामय इतिहास की याद दिलाता है। यह झंडा विभिन्नता में एकता वाले इस देश को एक सूत्र में बाँधे हुए है। हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर लाल क़िले पर राष्ट्रीय झंडे को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ फहराया जाता है। देश के प्रथम नागरिक से लेकर आम नागरिक तक इसे सलामी देता है। 21 तोपों की सलामी से सेना इसका सम्मान करती है। किसी भी देश का झंडा उस देश की पहचान होता है। तिरंगा हम भारतीयों की पहचान है। भारतीय होने के नाते हमारे लिए ज़रूरी हैं की हमें अपने देश के झंडे के बारे में पता हो इसलिए इस बार की बरली की दुनिया आपके पास लेकर आ रही हैं हमारे अपने तिरंगे झंडे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।

राष्ट्रीय झंडे की रचना एवं रंगों का महत्त्व

राष्ट्रीय झंडे ने पहली बार आज़ादी की घोषणा के कुछ ही दिन पहले 22 जुलाई 1947 को पहली बार अपना वो रंग रूप पाया जो आज तक कायम है। झंडे की चौड़ाई और लम्बाई का अनुपात 2:3 है। हमारा राष्ट्रीय झंडा तीन रंगों से बना है इसलिए हम इसे तिरंगा भी कहते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग फिर सफ़ेद और सबसे नीचे हरा। तिरंगे में इन रंगो की क्या महत्त्व है यह जानना बहुत ज़रूरी है।

केसरिया यानी भगवा रंग वैराग्य का रंग है। हमारे आज़ादी के दीवानों ने इस रंग को सबसे पहले अपने झंडे में इसलिए सम्मिलित किया जिससे आने वाले दिनों में देश के नेता अपना लाभ छोड़ कर देश के विकास में खुद को समर्पित कर दें। जैसे भक्ति में साधु वैराग ले मोह माया से हट भक्ति का मार्ग अपनाते हैं। केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस को भी दर्शाता है।

सफेद रंग प्रकाश, शांति और सत्य के प्रतीक के रूप में लिया गया है।

हरा रंग प्रकृति से संबंध और संपन्नता दर्शाता है। यह उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है।

बीच में गहरे नीले रंग का चक्र बना है जिसमें 24 तीलियाँ हैं जिसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। इस प्रतीक को तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर के स्तंभ से लिया गया है। हर तिरंगे में अशोक चक्र सफेद रंग के तीन चौथाई भाग में ही होना चाहिए। चक्र की परिधि लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। केन्द्र में स्थित अशोक चक्र धर्म के 24 नियमों की याद दिलाता है। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं। इस चक्र को प्रदर्शित करने का मतलब यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है।

तिरंगे का इतिहास

आज जो झंडा हमारे देश की पहचान है उसे इस रूप में ढालने वाले थे पिंगली वेंकैया।

यह जानना अत्यंत रोचक है कि हमारा राष्ट्रीय झंडा अपने आरंभ से किन–किन परिवर्तनों से गुजरा। स्वामी विवेकानंद

की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने सबसे पहले झंडे की परिकल्पना की। फिर 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में बंगाल के विभाजन के विरोध में एक रैली हुई जिसमें पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहे लेकिन जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने का फ़ैसला किया तो देश के नेताओं को राष्ट्रीय झंडे की चिंता हुई।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक झंडा समिति का गठन किया गया और उसमें यह फ़ैसला किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को कुछ परिवर्तनों के साथ राष्ट्र झंडे के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, ये तिरंगा हो और इसके बीच में अशोक चक्र हो। भारतीय राष्ट्रीय झंडे का विकास आज के इस रूप में पहुंचने के लिए अनेक दौरों में से गुज़रा। हमारे राष्ट्रीय झंडे के विकास में कुछ ऐतिहासिक पड़ाव इस प्रकार हैं।

प्रथम राष्ट्रीय झंडा 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक (ग्रीन पार्क) कलकत्ता (कोलकाता) में फहराया गया था। इस झंडे को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था।

दूसरे झंडे को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था (कुछ के अनुसार 1905 में)। यह भी पहले झंडे के समान था सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर सप्तऋषि को दर्शाते हुए तारे हैं। यह झंडा बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था।

तीसरा झंडा 1917 में आया जब हमारे राजनैतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉ. एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां थी। इन पर सप्त ऋषि को दर्शाते हुए सात सितारे थे। बांयी और ऊपरी किनारे पर (खंभे की ओर) यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था।

सन् 1921 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे झंडे की कल्पना की जो सभी भारतवासियों को एक सूत्र में बाँध दे। उनकी इस पहल को एस.बी. बोमान जी और उमर सोमानी जी का साथ मिला और इन तीनों ने मिल कर नेशनल फ़्लैग मिशन का गठन किया। वेंकैया ने राष्ट्रीय झंडे के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सलाह ली और गांधी जी ने उन्हें इस झंडे के बीच में अशोक चक्र रखने का सुझाव दिया जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में

बाँधने का संकेत बने। पिंगली वेंकैया लाल और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बना कर लाए पर गांधी जी को यह

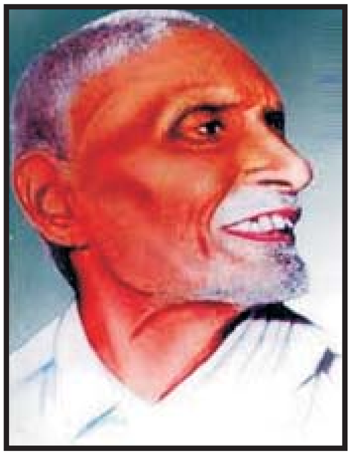

झंडा ऐसा नहीं लगा कि जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता हो। राष्ट्रीय झंडे में रंग को लेकर तरह–तरह के वाद विवाद चलते रहे। काफ़ी तर्क वितर्क के बाद भी जब सब एकमत नहीं हो पाए तो सन 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस के झंडे को मूर्त रूप देने के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। उसी साल कराची कांग्रेस कमेटी की बैठक में पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार झंडा, जिसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ केंद्र में अशोक चक्र स्थित था, इसकी सहमति मिल गई। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। इसी झंडे के तले आज़ादी के परवानों ने कई आंदोलन किए और 1947 में अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज़ादी की घोषणा से कुछ दिन पहले फिर कांग्रेस के सामने ये प्रश्न आ खड़ा हुआ कि अब राष्ट्रीय झंडे को क्या रूप दिया जाए। इसके लिए फिर से डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और तीन सप्ताह बाद 14 अगस्त को इस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के झंडे को ही राष्ट्रीय झंडा के रूप में घोषित करने की सिफ़ारिश की। 15 अगस्त 1947 को तिरंगा हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक बन गया।

तिरंगे का उचित प्रयोग तथा तिरंगे का सम्मान

राष्ट्रीय झंडा हमारे देश की पहचान है। भारत का राष्ट्रीय झंडा, भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसलिए हर भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय तिरंगे को पूरा सम्मान दे। कोई भी इंसान तिरंगे की गरिमा को धूमिल ना करे, इसके लिए भारतीय क़ानून में कुछ धाराएँ बनाई गई है। फ्लैग कोड इंडिया– 2002 में राष्ट्रीय झंडे से जुड़ी कुछ ख़ास बातों का ज़िक्र किया गया है जिसे हम भारतीयों को जानना ज़रूरी है। सभी के मार्गदर्शन और हित के लिए भारतीय झंडा संहिता–2002 में सभी नियमों, रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वाज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रीस् में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर, बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते है। बशर्ते कि वे झंडे की संहिता का कठोरता पूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने दें।

26 जनवरी 2002 विधान पर आधारित कुछ नियम और विनियमन हैं कि झंडे को किस प्रकार फहराया जाए:–

तिरंगे के रखरखाव का नियम

- ➩तिरंगे के निर्माण, उसके आकार और रंग आदि तय हैं।
- ➩इस झंडे को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहां तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए।
- ➩इस झंडे को भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। इसे वाहनों के हुड, ऊपर और बगल या पीछे, रैलों, नावों या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता।
- ➩किसी अन्य झंडा या झंडा पट्ट को हमारे झंडा से ऊँचे स्थान पर लगाया नहीं जा सकता है। तिरंगे झंडे को वंदनवार, झंडा पट्ट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग नहीं किया जा सकता।
- ➩झंडे का अपमान करनेवालों के ख़िलाफ़ सख्त क़ानून हैं।
- ➩अगर कोई इंसान झंडे को किसी के आगे झुका देता हो, उसे कपड़ा बना देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो या फिर किसी मृत इंसान (शहीद हुए आर्म्ड फोर्सेज के जवानों के अलावा) के शव पर डालता हो, तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाएगा।
- ➩तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहन लेना भी ग़लत है।

➩अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगा बनाकर कोई कपड़ा पहनता हो तो यह भी तिरंगे का अपमान है।

तिरंगे को फहराने के नियम

➩सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही तिरंगा फहराया जा सकता है।

➩2001 में उद्योगपति नवीन जिंदल ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नागरिकों को आम दिनों में भी झंडा फहराने का अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने नवीन के पक्ष में ऑर्डर दिया और सरकार से कहा कि वह इस मामले को देखे। केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 2002 को झंडा फहराने के नियमों में बदलाव किया और इस तरह हर नागरिक को किसी भी दिन झंडा फहराने की इजाजत मिल गई।

➩जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। उसे ऐसी जगह लगाया जाए, जहाँ से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

➩सरकारी भवन पर झंडा रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है, विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है।

➩झंडे को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए और धीरे–धीरे आदर के साथ उतारा जाए।

➩झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता का मुँह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उनके दाहिने ओर हो।

➩झंडा किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचोंबीच या कार के दाईं ओर लगाया जाए।

➩फटा या मैला झंडा नहीं फहराया जाता है।

➩जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरा नष्ट किया जाए।

➩झंडा केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है।

➩झंडे पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए।

संस्थान के समाचार

गणतंत्र दिवस पर बरली संस्थान में आदिवासी महिलाओं ने झंडा फहराया

26 जनवरी 2011 को बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

संस्थान में प्रशिक्षण ले रही आदिवासी महिलाएँ जिला आलीराजपुर बड़ीबेगलगाँव की संगीता डावर और जिला इंदौर बड़ी कलमेर की कौशल्या केवट, संस्थान की निदेशिका डॉ. (श्रीमती) जनक पलटा मगिलिगन, प्रबंधक श्री जिम्मी मगिलिगन, उपनिदेशिका श्रीमती ताहिरा जाधव, उपनिदेशक श्री योगेश जाधव एवं मुख्य अतिथि पंचगनी (महाराष्ट्र) के न्यू–एरा टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के निदेशक श्री ओमिद सीयोशान्सीयान की उपस्थिति में झंडा फहराया गया।

इस अवसर पर श्रीमती जनक पलटा मगिलिगन ने गणतंत्र दिवस का परिचय देते हुए कहा "हम सभी आज गणतंत्र दिवस

मना रहें हैं क्योंकि आज के दिन भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ था। हमारे लिए अपने देश के प्रति कर्त्तव्य पालन करना भी उतना ही जरूरी है जितना अधिकार प्राप्त करना है। हमारे संविधान में सभी के लिए मौलिक अधिकार, नियम, कानून और कर्तव्य दिए गए है। बरली संस्थान बहाई सिद्धान्तों से प्रेरित है और बहाई शिक्षाओं के अनुसार सभी को अपने देश के कानून के प्रति वफादार होना चाहिए और सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा

गाँधीजी ने हमें शाँति एवं अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता दिलाई थी। गणतंत्र दिवस हमें उन शहीदों की याद दिलाता हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। इसलिए हमारे देश को सुरक्षा, शाँति एवं एकता की आज जरूरत है।"

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ओमिद सीयोशान्सीयान ने कहा "इस शुभ अवसर पर संस्थान में आकर और बरली संस्थान द्वारा इन आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में साक्षरता और आत्मनिर्भरता लाने के प्रयासों को देखकर बहुत

प्रसन्न हूँ। स्त्री पुरुष में समानता होनी चाहिए और महिला का शिक्षित होना ज्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि वह अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती हैं। यदि वह शिक्षित होगी तभी देश उन्नति कर सकता हैं।"

ध्वजारोहण के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशभक्ति गीत, भजन और भिलाली लोकगीत पर नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन संस्थान की उपनिदेशिका श्रीमती ताहिरा जाधव एवं आभार प्रदर्शन संस्थान की कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती तारु जमरे ने किया। कार्यक्रम के बाद डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर पर बनी फिल्म **"एक अनकहा सच"** सभी प्रशिक्षणार्थियों को दिखाई गई तथा दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया।

यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसमें 70 ऐसी लड़कियाँ थीं जो कभी भी स्कूल नहीं गई थी और जिन्होंने जीवन में पहली बार गणतंत्र दिवस में भाग लिया था।

13 जनवरी 2011 को महिलाओं की संस्था चौपाल के 30 सदस्यों ने बरली संस्थान में आकार सभी प्रशिक्षणार्थियों का उत्साह बढ़ाया। प्रशिक्षणार्थियों की मेहनत, सीखने की चाहत और स्वयं को सशक्त करने के प्रयासों का सम्मान करते हुए

उन्होंने सभी को शाल भेट किए। इस अवसर पर श्रीमती पुष्पा मित्तल ने सभी को सम्बोधित कर जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखने और आगे बढ़ने के लिए बुलंद इरादों पर बल दिया।

9 जनवरी 2011 को डेली कॉलेज से 9 से 11 साल के 20 युवा ने मेनेजर श्री जिम्मी मगिलिगन से बॉक्स सोलर कूकर बनाने

का एक दिन का प्रशिक्षण लिया। विद्यार्थी, नवेली जैन ने कहा "यह एक बहुत अद्भुत अनुभव था। मैंने पहली बार सौर ऊर्जा के इतने उपयोग के बारे में सीखा।"

10 जनवरी 2011 को जाल सभाग्रह में ऊर्जा के सही उपयोग पर एक सेमीनार का अयोजन सी. ई. पी. आर. डी (पर्यावरण संरक्षण एवं अनुसंधान विकास केन्द्र) द्वारा

आयोजन किया गया था। संस्थान में हो रहे सूर्य ऊर्जा के सफल प्रयोग के कारण इस सेमीनार में संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया 53 प्रशिक्षणार्थियों ने पूरे उत्साह से इस सेमिनार में भाग लिया।

आदिवासी कन्याओं को नए साल में मिले सायकल उपहार

4 जनवरी 2011 को इन्दौर जिले के कम्पेल गाँव के शासकीय माध्यमिक शाला में कुमारी लक्ष्मी और कुमारी नीलम को नये वर्ष में दो सायकल उपहार में मिले। इस उपहार की बहुत दिलचस्प कहानी है। इन्दौर में मालवा वनस्पति मिल के डायरेक्टर श्री जगदीश गोयल की नातिन कुमारी शगुन 6 माह पहले बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान में अपने माता–पिता श्री नवीन व विनीता गोयल के साथ आई और शगुन को पहली बार यह अनुभव हुआ कि वह बहुत भाग्यशाली है क्योंकि उसका जन्म एक सम्पन्न परिवार में हुआ और उसे अमेरिका में शिक्षित होने का अवसर मिला। लेकिन भारत के गाँव में अभी भी 80 प्रतिशत से ज्यादा उसकी उम्र की लडकियाँ है जो कभी स्कूल नहीं गई। बरली संस्थान में इन लडकियों को मिलकर वह बहुत भावुक होकर प्रेरित हो गई। अमेरिका जाने के बाद दीवाली के अवसर पर लॉसेन्जलेस में स्थित ग्रेनडा स्कूल में उसने स्कूल में पढ़ रही ऐसी लड़कियों को सायकल दिलाने के लिए पैसे इकट्ठे किए।

वहाँ से उसने बरली संस्थान की निदेशिका श्रीमती जनक पलटा मगिलिगन को ई–मेल से सूचित किया कि उसने फन्ड इकट्ठा कर लिया है और जरूरतमन्द ऐसी दो लड़कियों को सायकल दिया जाय जो पढ़ने में अच्छी है लेकिन उनके माता–पिता उन्हें सायकल दिलाने में सक्षम नहीं है और उन्हें पैदल चलकर जाना पड़ता है। इस तरह शगुन ने अमेरिका में बैठकर भारत की बहनों के बारे में सोचा। लगभग एक साल से श्रीमती जनक पलटा मगिलिगन इन्दौर जिले की सर्त्कता एवं

निगरानी समिति में एन. जी. ओ प्रतिनिधि है। इस समिति ने इन्दौर जिले के 100 सरकारी कन्या माध्यमिक स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाने का लक्ष्य लिया है। श्रीमती जनक ने इस लक्ष्य के अर्न्तगत नौ सरकारी स्कूलों को निजी सेवा देने के लिए गोद लिया है। लगभग तीन महीने पहले जब वे शिक्षा विभाग व इस समिति के सदस्यों के साथ स्कूलों का दौरा करने के लिए गई तो कम्पेल स्कूल के प्राचार्य श्री डी.एस. गोयल ने उन्हें बताया कि मध्यप्रदेश की योजना के अनुसार ऐसी कन्या छात्रा को सायकल दिए जाते है जिन्हें 3 किलो मीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है और उनके स्कूल में 10 ऐसी छात्रा है जिन्हें 3 किलो मीटर से थोड़ा कम और 2 किलो मीटर से ज्यादा पैदल चलकर जाना पड़ता है। उसी दिन जनक पलटा ने निर्णय लिया कि वे जन भागीदारी से इन

छात्राओं को सायकल दिए जाने का प्रयास करेंगी। उनके प्रयास को शगुन ने पूरा किया। शगुन ने उनके नानाजी और नानी श्रीमती कुसुम गोयल ने सायकल खरीदकर जनक दीदी को पहुँचाया और जनक दीदी ने कम्पेल पहुँचाया। 4 जनवरी को कम्पेल के स्कूल में कुमारी नीलम और कुमारी लक्ष्मी को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री सी सिलावट ने शगुन के नाना–नानी जी तथा श्री जिमी व श्रीमती जनक, गाँव के सरपंच वहाँ के सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में नव वर्ष के उपहार सायकल दिए गए। लक्ष्मी और नीलम बहुत खुश हुई। आशा है कि लोग भी इस तरह जरूरतमन्द कन्या छात्राओं को प्रोत्साहन और योगदान देने के लिए आगे बढेंगे।

संस्थान में आये मेहमान

⇒ 6 जनवरी 2011 को गैर सरकारी संस्था सहायता के 40 सदस्य संस्थान आये। उन्होंने संस्थान पर बने वृत्त चित्र

का आवलोकन किया यह संस्था पिछले 10 सालो से बरली को मुफ्त में दवाएं देकर सहयोग कर रही हैं।

⇒22 जनवरी 2011 को मिलाग्रेस कॉलेज, उडुपी , कर्नाटक

से मास्टर ऑफ़ सोशल वर्क के 7 छात्रों एवं शिक्षकों का दल संस्थान देखने आया। श्रीमती ताहेरा जाधव ने उन्हें संस्थान की गतिविधियों पर एक प्रस्तुत्ति दी और श्री योगेश जाधव ने उन्हें संस्थान का भ्रमण कराया।

⇒11 जनवरी 2011 को अहमदनगर, महाराष्ट्र से मास्टर आफ सोशल वर्क के 30 विद्यार्थियों और उनके शिक्षक

संस्थान देखने आये। श्रीमती ताहेरा जाधव ने उन्हें संस्थान की गतिविधियों पर एक प्रस्तुति दी और श्री योगेश जाधव ने उन्हें संस्थान का भ्रमण कराया। विद्यार्थी मसि देवी ने कहा कि "आपका संस्थान देखकर मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ और भविष्य में ऐसी ही संस्था स्थापित करूँगी।"

⇒12 जनवरी 2011 को शैश्विका विद्यालय इंदौर से 15

शिक्षको का दल संस्थान देखने आया। श्रीमती जनक पलटा मगिलिगन ने उन्हें संस्थान द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी और श्रीमती ताहेरा जाधव ने उन्हें संस्थान का भ्रमण कराया।

⇒14 जनवरी 2011 को मध्य प्रदेश आजीविका परियोजना के राज्य समन्वयक श्री राजीव सक्सेना, श्री हरीसिंह और श्री

नरेश सिंह यादव संस्थान देखने आये। श्री योगेश जाधव ने उन्हें संस्थान का भ्रमण कराया और श्रीमती जनक मगिलिगन ने उन्हें संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी।

⇒20 जनवरी 2011 को कस्तुरबाग्राम, इंदौर में सेवा दे रही तीन जर्मन युवतियां सुश्री लियोनि हरच, सुश्री क्रिस्तिना ज़र्र और सुश्री चारलोट लीजौ संस्थान देखने आई। वे यहाँ

पर सौर ऊर्जा के उपयोग को देखकर बहुत प्रसन्न हुए।

तिरंगा गीत

चाँद, सूरज–सा तिरंगा, प्रेम की गंगा तिरंगा
विश्व में न्यारा तिरंगा, जान से प्यारा तिरंगा
सारे हिंदुस्तान की, बलिदान–गाथा गाएगा
ये तिरंगा आसमाँ पर, शान से लहराएगा।
शौर्य केसरिया हमारा, चक्र है गति का सितारा
सफेद सब रंगों में प्यारा, शांति का करता इशारा
ये हरा, खुशियों भरा है, सोना उपजाती धरा है
हर धरम, हर जाति के, गुलशन को ये महकाएगा।
ये है आज़ादी का परचम, इसमें छह ऋतुओं के मौसम
इसकी रक्षा में लगे हम, इसका स्वर है वंदेमातरम
साथ हो सबके तिरंगा, हाथ हो सबके तिरंगा
ये तिरंगा सारी दुनिया, में उजाला लाएगा।
– सुनील जोगी

बरली की दुनिया ऑनलाईन भी है। इसके पहले वाले अंक www.barli.org के our publications में देख सकते हैं।

प्रिंटेड मैटर–बुक पोस्ट

पता

____

____

____

____

इस पत्रिका के प्रकाशन में सहयोगी
श्रीमती ताहेरा जाधव, श्रीमती ढेडी बागदरे

हमें पत्र लिखें

"बरली की दुनिया" के पाठकों से विनम्र निवेदन है कि आप हमें नीचे लिखे पते पर पत्र लिखें कि आपको नियमित "बरली की दुनिया" मिल रही है या नहीं।

संपादक "बरली की दुनिया"
बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान
180 भमोरी, न्यू देवास रोड, इंदौर 452010 (म.प्र.) फोन न. 0731–2554066

रजि. न. MPHIN / 2007 / 22179

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की ओर से बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान, 180 भमोरी, न्यू देवास रोड़, इन्दौर – 452010 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित
मुद्रण स्थल : राजा ऑफसेट, 863/9,नेहरूनगर, इन्दौर द्वारा मुद्रित संपादक : डॉ. (श्रीमती) जनक पलटा मगिलिगन